"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जुलाई 2017 — आषाढ़ 19, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2017/रास/यू.-9. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा Professor Rohini Prasad, School of Studies in Economics, Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (C. G.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. Professor Rohini Prasad का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी.

हस्ता./-
(ए. के. अग्रवाल)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .